केरल राज्य

बनाम

पी. सुगाथन और ए. एन. आर.

सितंबर 26,2000

[डी. पी. मोहपात्रा और आर. पी. सेठी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-धारा 302 और 120 बी।

हत्या -आपराधिक षड्यंत्र -सबूत -अधिनिर्णीत किया गया। प्रत्यक्ष और परिस्थितजन्य साक्ष्य से स्थापित किया सकता है। -परिस्थितियों से यह अनुमान लगाना चाहिये कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपराध करने की सहमति थी -अनुमानित परिस्थितया अपराध के वास्तविक कमिशन से पहले होनी चाहिए अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्घ मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का दायित्व था। हत्या आपराधिक षड्यंत्र रचकर किया गया था।

हत्या -अपराधिक षड्यंत्र -ए 2 के पूर्व प्रेमी की ए 1 द्वारा हत्या को स्थापित किया-अभियोजन पक्ष द्रारा ए 1 और ए 2 के बीच अपराध करने की सहमति को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया। -प्रभाव -अभिनिर्धारित किया गया, ए 2 को संदेह के लाभ् के आधार पर दोषमुक्त होने का हकदार है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा133-गवाह-हत्या-एक सहअपराधी के साक्ष्य -तात्विक विशिष्टियों द्वारा यथोचित समपुष्टि -दोषसिद्घि और सजा। न्यायसंगत-धारा 302 दण्ड संहिता 1960

प्रत्यर्थी-पर अभियुक्तो पर धारा 302 और 120 बी दण्ड संहिता के तहत अपराधो का अभियोजन चलाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 'एस'

का एक छात्रा ए2 के साथ प्रेम सम्बन्ध थे, लेकिन उसकी शादी के बाद उनके सम्बन्ध समाप्त हो गये इसके बाद, ए2 ने ए1, पुलिस अपनिरीक्षक के साथ अवैध सम्बन्ध विकसित कर लिए इसके बाद 'एस' ए2 के पास आया और पुराने प्रेम सम्बन्ध व अन्तरंगता को पुनर्जीवित करना चाहता था। जब ए1 को पता चला कि 'एस' ए2 के साथ अपने पुराने सम्बन्धों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। तो उसने एस की मृत्यु का कारण बनकर उनके प्रेम सम्बन्धों को 'एस' की हत्या कर समाप्त करने का मन बना लिया।

इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के अनुसार ए1 और ए2 ने 'एस' की हत्या का अपराधिक षड्यंत्र रचा और उसके अनुसरण में एस2, एस1 से बस स्टोप पर मिली और ए1 के सरकारी आवास पर लेकर गयी और उन्होने एस का दम घोंटकर उसकी मृत्यु कर दी उसके बाद, पी डब्लू 01 व ए3 मृत शरीर को नदी के पानी में ठिकाने लगाने के षड्यंत्र में शामिल हो गये।

विचारण न्यायालय, ने पी.डब्ल्यू-1 सहअभियुक्त के इकबाली बयानो पर भरोसा करते हुये तात्विक विशिष्टियों के यथोचित संपुष्टि की गई।

ए1 और ए2 को धारा 302 सहपठित धारा 120 बी भा.द.सं. के अपराधों के लिये और ए3 को धारा 201 सहपठित धारा 34 दण्ड संहिता के अपराधों के लिये दोषसिद्घि किया गया, और सजा सुनायी गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने अपील में ए1 की दोषसिद्घि व सजा की पुष्टि करते हुये तथा ए2 को अपराध अन्तर्गत धारा 302, 120बी भा.द.सं. के अपराधों की दोषसिद्घि को अपास्त किया गया कि अधिनिर्णीत करते हुये कि अभियोजन पक्ष ए1 व ए2 के बीच षड्यंत्र को साबित करने में असफल रहा फिर भी ए2 को अपराध अन्तर्गत धारा 201 भा.द.सं. के तहत दोषसिद्घि किया गया व सजा सुनायी गई। इसलिए वर्तमान अपील की।

न्यायालय ने अपीलों को खारिज करते हुये

अभीनिर्धारित: 1.1 उच्च न्यायालय ने ए2 को अपराध अन्तर्गत धारा 302 सहपठित धारा 120 बी भा.द.सं. के तहत दोषमुक्त किया जाना उचित ठहराया यह अधिनिर्णीत करते हुये कि अभियोजन पक्ष ए1 व ए2 के बीच अपराधिक षड्यंत्र को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।

1.2 आपराधिक षड्यंत्र का अपराध प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से साबित किया जा सकता है। आपराधिक षड्यंत्र का प्रत्यक्ष स्वतंत्र साक्ष्य सामान्यत उपलब्ध सामान्य नहीं होता है उसका अस्तीत्व अनुमान का विषय है।

निष्कर्ष सामान्यतः षड्यंत्रकरियों के बीच सामान्य उद्देश्य के अग्रसण में पक्षकारों के कृत्यो से निकाले जाते है। किसी अपराध का अंजाम देने के सम्बन्ध में षड्यंत्रकारियों द्वारा लिये गये अंतिम निर्णय के परिणामस्वरूप मस्तिष्क का मिलने होनी चाहिये और षड्यंत्र का तथ्य कहा होगा।

वह परिस्थितियों से अनुमान निकाला जाता है। अभियोजन पक्ष को यह दर्शित करना होगा कि परिस्थितियों दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपराध करने के लिये सहमति के निर्णायक और अप्रतिरोध्य निष्कर्ष को जन्म देती है। अन्य सभी अपराधिक मामलों की तरह अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्घ मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का जिम्मेदारी है। यह दिखाना होगा कि अपनाने गये सभी साधन और किये गये अवैध कृत्य रची गई षड्यंत्र के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिये थे। उद्देश्य के लिये परिस्थितियां निर्भर करती थी कि कथित षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिये अपराध के वास्तिवक कमशिन से पहले हस्तक्षेप करना चाहिये। (416-एफ;417-ई-एफ;418-ए)

भगवान स्वरूप लाल बिशन लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. (1965) एससी 682; वी.सी. शुक्ला बनाम राज्य (1980) 2 एस.सी.सी. 665; केहर सिंह बनाम राज्य, ए.आई.आर. (1988) एससी 1883 और महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा ए.आई.आर.(1996) एस. सी. 1744 पर भरोसा किया।

यश पाल मित्तल बनाम पंजाब राज्य, [1977] 4 एस.सी.सी. 540 और अजय अग्रवाल बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. (1993) एस. सी. डब्ल्यू. 1866 का उल्लेख किया गया है।

1.3 तत्काल मामले में अभियोजन पक्ष षड्यंत्र के अस्तित्व को साबित करने के लिये पीडब्लू **ए** 4,15,16 और 49 की गवाही पर निर्भर था। उनके बयानों से यह पता लगाया जा सकता है कि मृतक एस के अपने विद्यार्थी जीवन में कुछ समय के लिये ए 2 के साथ घनिष्ठता रखता था और उसकी शादी के बाद उनका रिश्ता टूट गया। घटना के कुछ समय पहले उनकी मुलाकात ए2 से हुई और उन्होंने पुराने घनिष्ठता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया।

ऐसा सबूत किसी भी तरह से यह साबित करेगा कि ए1 पूर्व प्रेमियों के बीच अंतरंगता के पुनरूद्वारा के बारे में पता था, इसलिये ऐसी परिस्थिति के अस्तित्व से हत्या के अपराध को अंजाम देने के लिये कोई हेतुक नहीं निकाला जा सकता है। जिनका मृत्यु के अवसर से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है। केवल इस तथ्य कि मृतक 'एस' ने पीडब्ल्यू 49 को बताया कि ए2 ने उसे अपने घर पर आमंत्रित किया था। इतना नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा निमंत्रण ए1 और ए2 के बीच रची गयी कथित षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिये था।

यह दिखाने या सुझाव देने के लिये ऐसा कोई मुल्यवान सबूत नहीं था कि ए2 मृतक के साथ अंतरंगता के पुनरूद्वारा के खिलाफ था या उसने अपने प्रेम सम्बन्ध

और मृतक द्वारा पुनरूद्वारा का रहस्य ए1 के साथ साझा किया हो। जिसके साथ वह बिना शादी के पत्नी के रूप में रह रही थी।

इसलिये विचारण न्यायालय का यह मानना उचित नहीं था कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया कि ए1 को मृतक और ए2 के बीच अंतरंग के पुनरूद्वारा से अवगत था। भले ही उसे अंतरंगता के बारे में पता था, फिर भी ए2 के लिये उसके साथ हत्या का अपराध करने के लिये सहमत होने का कोई कारण व अवसर नहीं था। ए2 और मृतक के बीच पहले के सम्बन्धों की समाप्ति भी उनके लिये अपराध करने के सामान्य आशय के अग्रसरण का कारण नहीं हो सकती है।

विशेषतः जब वह ए1 के साथ खुशी-खुशी से रह रही हो और उनके अवैध सम्बन्धों के कारण एक बेटा घटना के समय साथ रह रहा था। इसके अलावा, इस तथ्य की स्थापना की अपराध करने के समय महिला की चिल्ला रह थी न केवल ए1 की उपस्थिति का संकेत देती है, बल्कि मृतक को मारने और उसे मारते हुये देखकर भयभीत होने के सामान्य आशय को साझा करने में उसकी अनिच्छा भी दर्शाती है।

इस प्रकार षड्यंत्र के अस्तित्व को दर्शाने के लिये जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था, वो ऐसी परिस्थितियां है, जिन पर विश्वास किये जाने पर भी, उचित संदेह से परे ए2 के हत्या के अपराध को करने के लिये शामिल होना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कहां जा सकता है। (419-ई-जी;420-ए-जी)

2.1 पी.डब्ल्यू 1 की गवाही ए2 को अपराध करने के लिये दोषी ठहराने के लिये सहअपराधी की तात्विक विशिष्टियों की संपुष्टि ही प्राप्त है। इस प्रकार नीचले न्यायालय द्वारा उसे दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिये दोषसिद्घ ठहराया जाना न्यायसंगत था।

2.2 यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पी.डब्ल्यू 01 विश्वसनीय साक्षी नहीं था और उसके बयानों में गम्भीर विसंगतियां थी। यह साबित हो चुका कि पी.डब्ल्यू 01 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के तहत वैध रूप से क्षमादान दिया गया।

अभियुक्त-अपीलार्थी को कमिटल के साथ-साथ सत्र न्यायालय में भी उसके प्रतिपरीक्षण का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा वह प्रतिपरीक्षण का सामान किया और ए1 के कारण मृतक की मृत्यु और सभी आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसके शरीर को नष्ट करने के तथ्य को साबित कर दिया। एक सहअपराधी सक्षम साक्षी है और उसकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि किया जा सकता है। यदि उसकी अन्य तात्विक विशिष्टियों से संपुष्टि की जाये।

पी.डब्ल्यू 01 के सम्पूर्ण बयान इस तरह से विवेचन हे कि ए1 द्वारा ए2 व ए3 की उपस्थिति में अपराध किया गया था। पी.डब्ल्यू 01 के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा चश्मदीद साक्षी के पास पर्याप्त संपुष्टिकारक साक्ष्य है। जो ए1 मृतक एस की हत्या के अपराध करने के साथ जोड़ते हो।

इस प्रकार यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि ए1 की दोषसिद्धि पूरी तरह पी.डब्ल्यू 01 के बयानों पर आधारित थी तथा उसके बयान की तात्विक विशिष्टियों से संपुष्टि नहीं की गई थी। मामले में पेश किये गये परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर्याप्त है। आरोपी को अपराध घटित करने से जोड़ने के लिये। (422-ए,बी,सी 423-ए,ई.एफ)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 784/1994

केरल उच्च न्यायालय के क्रि.अ.नं. 450 में निर्णय और आदेश दिनांक 08-04-94 से।

साथ

1994 की आपराधिक अपील संख्या 785

डाॅ जोस वर्गीस, के.एम.के. नायर, सीएन उपस्थित पक्षों की ओर से श्री कुमार, सुश्री शिजाथा, सुश्री दीपा और एस.मनप्पन।

सेठी जे. जेलोसी के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया कि एक महिला के साथ दो पुरुषों के प्रेम सम्बन्धों के कारण, अंततः एक की मृत्यु हो गई तथा दूसरे को उस मामले में दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई। जिसमें वर्तमान अपील पेश की गई। आम प्रेमिका कृष्णा कुमारी प्रतिवादी संख्या 02 (इसके बाद ''ए2'' के रूप में संदर्भित) और उसके प्रेमी में से एक प्रेमी सोमन मृतक था।

जिसका क्षत-विक्षत सिर और सिर वहिन शरीर को केरल में एक नदी से बरामद किया गया था। मृतक सोमन अपनी स्नातकोत्तर पूर्ण करने के बाद केनरा बैंक तिरूरंगड़ी की शाखा में कार्यरत थे। महिला का दूसरा प्रेमी पी. सुगाथन (जिसे बाद में ए 1 के रूप में संदर्भित) है, जो घटना की तारीख को पुलिस स्टेशन रामनगिरी में तैनात पुलिस उपनिरीक्षक था।

विचारण के बाद ए1 व ए2 भारतीय दण्ड संहिता 302 सहित विभिन्न धाराओ में दोषी ठहराया गया तथा कारावास की सजा सुनायी गई थी, जिनमें से अधिकतम आजीवन कारावास था। **ए** उनके साथ मुकदमा चलाने वाले आरोपी संख्या 3 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 सहपठित धारा 34 के तहत अपराधों के लिये दोषी ठहराया व सजा सुनायी गई। ए 1 की दोषीसिद्धि को बरकरार रखा। जबकि महिला

आराेपी ए2 की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्घि को अपास्त कर दिया,

हालांकि उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया व सजा सुनायी गई। व्यथित होकर राज्य ने उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त करने और कथित षड्यंत्र के अस्तित्व के सबूत पर ए2 को भी दोषी ठहराने व सजा देने के लिये 1994 की अपील संख्या 484, दायर की गई। ए 1 ने भारतीय दण्ड संहिता के तहत धारा 302 और अन्य अपराधाें के तहत उनकी दोषसिद्घि व सजा के आरोपों से दोषमुक्त करने की प्रार्थना के साथ 1993 की आपराधिक अपील संख्या 785 दायर की गई थी।

दोनों अपीलाें को एक साथ सुनायी की गई और सामान निर्णय द्वारा उसका निस्तारण किया जा रहा है।

मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि मृतक सोमन ने अपनी महाविद्यालय की शिक्षा त्रिवेन्द्रम केरल के विश्वविद्यालय काॅलेज में की थी। जहां वह शुरूआत में अपनी बड़ी बहन के साथ रहता था। जो महालेखाकार के कार्यालय में कार्यरत थी। लगभग डेढ़ साल बाद वह काॅलेज के छात्रावास में स्थानारित हो गया था। लेकिन कभी-कभी वह अपनी बहन पी.डब्ल्यू 04 के घर आता था। कृष्णा कुमार ए2 उस समय अपनी बहन की घरेलू सेविका थी। उसी दौरान सोमन और कृष्णा कुमारी की जान-पहचान दोनों के बीच प्रेम सम्बन्ध में बदल गया था।

स्नातकोत्तर के बाद उन्हें कैनरा बैंक में नौकरी मिल गई तथा उसकी पोस्टिंग थिरूरंगड़ी में हो गई, लेकिन कुष्णा कुमारी ए2 के साथ उनका प्रेम संबंध जारी रहा। उसकी शादी वर्ष 1981-1982 में कहीं और हो गई। जिसके परिणास्वरूप ए2 के साथ उनका रिश्ता टूट गया। इसके बाद ए2 ने ए 1 के साथ अवैध सम्बन्ध विकसित कर

लिये और उनकी रखेल के रूप में उनके साथ रहने लगी। 1987 में ए 1 को रामनगिरी पुलिस स्टेशन में पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में तैनात किया गया था।

अपनी पत्नी व तीन बच्चों जीवित रहने के बावजूद ए1, ए2 के साथ कलारकोड में अपने पति के रूप में एक किराये के मकान में रहने लगी। उस समय उसकी विधिक विवाहिता पत्नी और तीन बच्चे अल्लेपी में दूसरे घर में रह रहे थे। भले ही ए1 और ए 2 ने कलारकोड में एक किराए पर घर लिया था, वे आमतौर पर रामनगिरी पुलिस स्टेशन से जुड़े अधिकारिक क्वार्टर में रहते थे और उनके अवैध सम्बन्धों से उन्हें एक बेटा हुआ।

1987 की शुरूआत में मृतक सोमन को दुर्भाग्य से ए2 मिल गया और आरोप है कि उसने अपनी पुरानी घनिष्ठता व प्रेम सम्बन्धों को पुनर्जीवित कर दिया। वे अपनी रखेल पत्नी कृष्णा कुमारी की अंतरंगता के बारे में जानने और यह ज्ञान प्राप्त करने पर कि सोमन, कृष्णा कुमारी के साथ अपने पुराने रिश्तों को फिर से स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ए1 ने उसकी मृत्यु का कारण बनकर अंतरंगता काे समाप्त करने का मन बना लिया।

अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि ए1 और ए2 ने सोमन की हत्या करने की साजिश रची थी।

उसके अनुसरण में ए2 सोमन से हरपेद बस स्टैण्ड पर सुबह 18 जुलाई 1987 को मिला और उसे कलारकोड में पट्टे पर लिये गये घर पर लेकर गया। ऐसा कहां जाता है कि 19 जुलाई 1987 को ए2 ने कथित तौर पर धोखेबाज साधानों का उपयोग करते हुये सोमन को ए1 के अधिकारिक क्वार्टर पर ले गया और रात साढ़े दस बजे के कुछ समय बाद उसकी दम घोटकर मृत्यु कारित कर दी। इस स्तर पर एक प्रसन्नन

जो बाद में सरकारी गवाह बन गया और मोहनन आरोपी संख्या 03 उक्त साजिश में शामिल हो गये था।

उस साजिश में शामिल हो गय थे, जो पहले ए1 या ए2 द्वारा रची गई थी और साेमन के मृत शरीर को ए1 और ए2 ने नाव के चालक प्रसन्नन की मदद से हटा दिया और वे मृत शरीर को पुलिस क्वार्टर से नाव तक लेकर गये और उसके बाद ए1 के निर्देशों के अनुसार सरकारी गवाह ने नाव को पंबा नदी में कुछ दूरी तक चलाया।

जब नाव नदी में काफी दूर पहुंच गई तो ए1 ने अनुमोदक द्वारा (सरकारी गवाह) दिये गये चाकू से मृतक के शरीर से सिर काट दिया। सिर को नदी में फेंक दिया और नाव फिर आगे बढ़ गई। ए1 ने बिना सिर वाले शरीर के पेट पर काफी गहरी चोटे पहुंचायी थी और साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से पंबा नदी के पानी में दखेल दिया।

18 जुलाई 1987 के बाद जब सोमन अपने घर नहीं लौटा उसके पिता ने उसके ठिकानों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। सोमन की मां, पत्नी और बहन और उसके ससुराल वाले जो ततिरूवंनतपुरम में थे, उनसे टेलीफोन पर संपर्क किया कि उनके लापता होने की खबर दी जा सके और यह भी पता लगाया जा सके कि क्या किसी संयोग से वे वहां पहुंच गये थे। लापता सोमन का कोई सुराग नहीं मिलने पर उसके सभी रिश्तेदार उसके घर पहुंचे और उसकी तलाश तेज कर दी। 20 जुलाई 1987 को एक व्यक्ति के गुमशुदगी की एफआईआर अपराध संख्या 254/87 दर्ज करवायी गई थी। 22 जुलाई 1987 को गवाह पीडब्ल्यू 02 मैथ्यू को पंबा नदी में सिर वहीन शव तैरता हुआ मिला। उन्होंने पुलिमकुन्नु पुलिस स्टेशन में पुलिस में सम्पर्क किया। जहां उनके बयानों के आधार पर अपराध नम्बर 75/87 दर्ज किया गया। पी.ड. 54 जो

अपराध संख्या 75/87 में अन्वेषण कर रहा था, ने 25 जुलाई 1987 को रामनगिरी में ए1 के अधिकारिक आवास की तालाशी ली और खोज सूची, प्रदर्श पी 29 तैयार की गई थी।

उन्होंने क्वार्टर की सुरक्षा हेतु दो पुलिस कास्टेबल को तैनात कर दिया। अपराध नम्बर 75/87 और अपराध नम्बर 294/87 का अन्वेषण उपपुलिस अधीक्षक के आदेश से एक साथ संयुक्त कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक डी.आई.जी, अपराध अन्वेषण में उप जिलापाल को निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा मामले का अन्वेषण अपने हाथों में लिया। जिन्होंने कार्यभार सम्भाने के बाद पूर्व अन्वेषण अधिकारियों द्वारा की गई अन्वेषण का सत्यापन किया गया और पी.डब्ल्यू ०१ और 08 के घर की तलाशी ली गई थी। आराेपी नम्बर 03 ने दिनांक 01-08-1987 को अन्वेषण अधिकारी के सामने आत्म समर्पण किया। उसी दिन ए1 और ए2 को गिरफतार किया गया था। विभिन्न वस्तुओ को जब्त की गई और मृत शरीर का सुपर इंपोजिशन परीक्षण किया गया था।

21 अगस्त, 1987 को प्रसन्नन को अभियुक्त नम्बर 04 आरोपित किया गया। जिसने इकबाली बयान देने की ईच्छा व्यक्त की। जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे आवश्यक वैधानिक चैतावनी देने के पश्चात् 27 अगस्त 1987 को दर्ज किये गये। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्लापूझा के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया। जिसमें कहा कि प्रसन्नन अपराध के सम्बन्ध में अपनी जानकारी के अनुसार सभी परिस्थितियों का पूर्ण और सही खुलासा करने का इच्छुक थे और उन्हें सरकारी गवाह बनाया गया था।

उसके इकबाली बयान पर गौर करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रसन्नन पी.डब्ल्यू 01 को तलब किया गया था और उसके बयान दर्ज किये गये थे। उन्हें भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के तहत क्षमादान दिया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रामनगिरी ने आरोपी को सत्र न्यायालय में सुपुर्द किया गया तथा प्रतिबद्घता के आदेश को आरोपी व्यक्तियों को इस आधार पर चुनौती दी गई कि गवाह पी.डब्ल्यू 01 ने क्षमा स्वीकार कर ली थी। सत्र न्यायालय में मामले को सुपुर्द करने से पहले धारा 306(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षण नहीं करवाया गया। उच्च न्यायालय ने विस्तृत आदेश पारित करते हुये सीआर, एमपी 687/87 में विस्तृत आदेश पारित करते हुये प्रतिबद्घता आदेश को अपास्त कर दिया तथा मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार नए सिरे से आगे बढ़ाने तथा 306(4)(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना करने के निर्देश दिया गया था।

आरोपी व्यक्तियों को धारा 306 के तहत बयान लेखबद्घ के समय अनुमोदक से जिरह करने का अवसर दिया गया। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अनुमोदक के बयान लेखबद्घ किये गये और तीन आराेपी फिर से को भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न अपराधों के तहत मुकदमा चलाये जाने के लिये सत्र न्यायालय सुपुर्द किया।

अभियाेजन पक्ष ने मामले में गवाह के रूप में 63 व्यक्तियों को परीक्षित किया गया था तथा आराेपियों ने अपनी प्रतिरक्षा में 6 गवाहों को पेश किया गया था। जैसा ऊपर उल्लेख किया गया था कि विचारण न्यायालय ने ए1 और ए2 को दोषी ठहराया और उन्हें धारा 193 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास से, धारा 201 के तहत पांच वर्ष कठोर कारावास, धारा 342 के अन्तर्गत 6 माह और धारा 302 सहपठित धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई थी।

सभी सजाए एक साथ चलनी थी। आरोपी संख्या 03 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 सहपठित धारा 34 के अन्तर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गई। उच्च न्यायालय ने सरकारी गवाही पर भरोसा किया, लेकिन तथ्यों पर यह पाया गया कि अभियोजन पक्ष सोमन की हत्या से पहले ए1 और ए2 के बी षड्यंत्र को साबित करने में असफल रहा और उसे धारा 302 और 120 बी भा.द.सं. के तहत अपराधों से दोषमुक्त कर दिया।

हालांकि उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाया गया और कारावास की वह अवधि सुनायी गई थी, जो उस समय वह भुगत चुकी थी। जिसे मामले की परिस्थितियों में पर्याप्त माना गया था।

अपीलार्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता-डाॅ जोश वर्गिश ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने यह मानकर कानूनी गलत की है कि साेमन की हत्या करने के लिये ए1 और ए2 के बीच आपराधिक षड्यंत्र रचा, साबित नहीं हुआ। उनके अनुसार षड़यंत्र के अस्तित्व को साबित करने के लिये अभिलेख पर लायी गई विभिन्न परिस्थितियां के रूप में पर्याप्त साक्ष्य थे। ए2 का आचरण, उसके द्वारा मृतक की हत्या से पहले लिखे गये कुछ पत्रों पाेस्ट करना, उसके द्वारा मृतक को ए2 के निवास पर आने के लिये प्रेरित करना और मृत शरीर को नष्ट करने में उसकी सक्रीय भागदारी पर्याप्त परिस्थितियां बतायी गई, जो षड्रयंत्र के अस्तित्व का के अप्रतिरोधय निष्कर्ष को जन्म देगा।

आपराधिक षड्यंत्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120(ए) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसे निम्नानुसार है-जब दो या दो अधिक व्यक्ति कुछ करने व करवाने को सहमत होते है

(1) अवैध कृत्य, या (2) ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने का सहमत होते हो, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है,

परंतु किसी भी अपराध को करने की सहमति के सिवाये कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक उस सहमति के आलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं किया जाता है।

स्पष्टीकरण तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का अनुसांगिक मात्र है।

धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र के लिये सजा निर्धारित करती है, जो अपने आप में स्वतंत्र अपराध है, जो मुख्य रूप में अलग से दण्डनीय है। षड्यंत्र का अपराध प्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य से स्थापित किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 में ऐजेंसी का सिद्घांत परिचय देती है। यह केवल तब ही आकृषित होती है, जब न्यायालय संतुष्ट हो जाये कि यह विश्चास करने का आधार है कि दो या दो अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई अपराध करने या आपराधिक कार्य करने के लिये षड्यंत्र रची हो।

इस आधार पर अर्थात् इस बात का प्रथमदृष्टया साक्ष्य होनी चाहिये की वे व्यक्ति षड्यंत्र में एक पक्ष था, इसे पहले की उनके कृत्यों का उपयोग सहषड्यंत्रकारियों के खिलाफ किया जा सके। भगवान स्वरूप लाल बिशन लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर(1965) एस.सी 682 में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 10 में ''उनके सामान्य आशय के संदर्भ में अभिव्यक्ति विस्तृत है **और** ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उपयोग जानबूझकर देने के लिये किया गया। यह इन शब्दों की तुलना में व्यापक है।

''अंग्रेजी कानून'' में प्रगति, परिणाम साजिश रचने के बाद, सहषड्यंत्रकारियों द्वारा कहीं गई, की गई या लिखी गई कोई भी बात, षड्यंत्र के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले या उसे छोड़ने के बाद दूसरे के खिलाफ सबूत होगी। कुछ भी कहा जाये, किया गया या लिखा गया केवल प्रसांगिक तथ्य है। ''प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ ऐसा माना जाता है कि यह साजिश रच रहा है और साथ ही साजिश के अस्तित्व को साबित करने के उद्देश्य से और यह दिखाने के उद्देश्य से कि ऐसा कोई व्यक्ति इसमें एक पक्ष था।'' यह आगे अभी अभिनिर्धारित किया गया था।

संक्षेप में इस धारा का विश्लेष्ण इस प्रकार से किया जा सकता है।

1. न्यायालय के लिये यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार प्रदान करने वाला प्रथमदृष्टया साक्ष्य होगा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक षड्यंत्र के सदस्य है।

2. यदि उक्त शर्तें पूरी हो जाती है, तो उनमें से किसी एक द्वारा अपने सामान्य आशय के संदर्भ में कहीं गई, की गई या लिखी गई कोई भी बात दूसरे के विरूद्घ साक्ष्य होगा।

3. उसके द्वारा कहीं गई या लिखी गई कोई भी बात उनमें से किसी एक इरादा बनाये जाने के बाद कहीं गई, की गई या लिखी गई होनी चाहिये।

4. यह षड्यंत्र में शामिल होने वाले किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी उस उद्देश्य के लिये भी प्रासंगिक होगा कि चाहे यह षड्यंत्र में शामिल से पहले या उसके छोड़ने के बाद कहा गया, किया गया, लिखा गया

5. और उसका उपयोग सहषड्यंत्रकारी के खिलाफ किया जा सकता है, उनके पक्ष में भी।

हम इस तथ्य से अवगत है कि आपराधिक षड्यंत्र में सामान्यतः प्रत्यक्ष स्वतंत्र साक्ष्य सामान्यत उपलब्ध सामान्य नहीं होता है उसका अस्तीत्व अनुमान का वि**षय** है

निष्कर्ष सामान्यतः षड्यंत्रकरियों के बीच सामान्य उद्देश्य के अग्रसण में पक्षकारों के कृत्यो से निकाले जाते है। वी.सी शुक्ला बनाम राज्य (1980) 2 एससी 1665 में माना गया कि अपराधिक षड्यंत्र को साबित करने के लिये प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य होने चाहिये, जो यह दिखाते हो कि अपराध करने के लिये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक सहमति थी।

किसी अपराध का अंजाम देने के सम्बन्ध में षड्यंत्रकारियों द्वारा लिये गये अंतिम निर्णय के परिणामस्वरूप मस्तिष्क का मिलन होनी चाहिये और षड्यंत्र का तथ्य का अनुमान परिस्थितियों से लगाया जाना है, अभियोजन पक्ष को यह दर्शित करना होगा कि परिस्थितियां निर्णायक या अप्रतिरोध्य निष्कर्ष को जन्म देती है। किसी अपराध को करने के लिये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सहमति निर्णायक या अप्रतिरोध्य निष्कर्ष को जन्म देनी वाली परिस्थितियां है। अन्य सभी अपराधिक अपराधों की तरह अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्घ मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का जिम्मेदारी निभानी होगी।

किसी भी मामले की परिस्थितियों को, उनके अंकित मूल्यों पर एक साथ लिया जाता है तो अवैध कार्य या ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधानों द्वारा करने के इच्छित उद्देश्य के लिये षड्यंत्रकारियों के बीच मन की बैठक का संकेत देना चाहिये।

यहां कुछ अंश वहां और कुछ अंश जिन पर अभियोजन भरोसा करता है, षड्यंत्र के अपराध को करने के लिये अभियुक्त को जोड़ना ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

उसे यह दिखाना होगा सभी अपनाये गये तरीके और किये गये अवैध कृत्य षड्यंत्रकारियों के उद्देश्य को आगे बढ़ा रहे थे। निष्कर्ष निकालने के लिये जिन

परिस्थितियों पर भरोसा किया गया, वह कथित षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिये वास्तविक अपराध की तुलना से पहले होना चाहिये।

केयर सिंह बनाम राज्य ए.आई.आर 1988 एससी 1883 में यह देखा गया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120ए और 120 बी में भारत में षड्यंत्र के अपराध को अंग्रेजी कानून के अनुरूप लाया गया, जब षड्यंत्र किसी भी दण्डनीय अपराध को करने के लिये आवश्यक होती है, तो उस अपराध का सबसे महत्वपूर्ण घटक दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अवैध कृत्य करने की सहमति होना है। ऐसे मामलों में जहां आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है।

न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिये कि क्या दोनों व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक ही उद्देश्य का पीछा कर रहे थे या अवैध उद्देश्य को पूरा करने के लिये एक साथ आये। पहला उन्हें षड्यंत्रकारी नहीं बनता है, लेकिन दूसरा उन्हें षड्यंत्रकारी बनाता है। षड्यंत्र के अपराध के लिये किसी प्रकार की सहमति की भौतिक अभिव्यक्ति की सहमति स्थापित करना आवश्यक है। किसी भी स्पष्ट सहमति को साबित करना की आवश्यकता नहीं है। अवैध कृत्य को साझा करने वाले विचारों का प्रसारण के सबूत प्रर्याप्त नहीं है।

षड्यंत्र एक लागातार चलने वाला अपराध है, जो तब तक जारी रहता है, जब तक कि इसे निष्पादित नहीं कर दिया जाये या आवश्यकता अनुसार समाप्त नहीं कर दिया जाता है। इसके अस्तित्व के दौरान जब भी कोई षड्यंत्रकर्ता कोई एक कार्य या कृत्यों की श्रृंखला करता है, उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी के तहत दोषी ठहराया जायेगा।

यशपाल मित्तल बनाम पंजाब राज्य में संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट और इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, अजय अग्रवाल वी भारत संघ

ए.आई.आर 1993 एसीडब्ल्यू 1863 महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा एआईआर 1996 एसी 1744 में आपराधिक षड्यंत्र के आरोप का स्थापित करने के लिये कानून की स्थिति व आवश्यकतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

उपर्युक्त निर्णय भले ही वजनदार हो, हमें इस निष्कर्ष तक ले जाते है कि षड्यंत्र के आराेप स्थापित करने के लिये किसी अवैध कृत्य या वैध कार्यों को अवैध साधनों से करने में शामिल होने के बारे में ज्ञान आवश्यक है। कुछ मामलों में गैर कानूनी उपयोग का इरादा बनाया जा रहा है। प्रश्न सेवाओ के सामान का अनुमान स्वयं के ज्ञान से लगाया जाता है। इसके अलावा अभियोजन पक्ष को यह स्थापित नहीं करना है कि एक विशेष गैर-कानूनी उपयोग का इरादा था।

जब तक प्रश्न में सामान व सेवाओ का वैध रूप से किसी वैध उपयोग नहीं लाया जा सके। अंत में जब अंतिम अपराध में कार्यों की एक अंतिम श्रृंखला शामिल होती है, तो अभियोजन पक्ष के लिये यह स्थापित करना आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक षड्यंत्रकर्ता को इस बात का ज्ञान था कि सहयोगी क्या करेगा।

इसलिये जब तक यह ज्ञात हो कि सहयोगी और गैर-कानूनी उपयोग में करेगा।

आपराधिक षड्यंत्र के अपराध से संबंधित कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में यह देखना होगा कि क्या अभियोजन पक्ष बिना किसी संदेह के यह साबित कर देता है कि ए2 ने आराेप पत्र में कथित तरीके से मृतक सोमन की मृत्यु का कारण बनने के लिये ए1 के साथ सहमति व्यक्त की। षड्यंत्र के अस्तित्व को साबित करने के लिये उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमानुसार देखा गया।

1. आरोपी ए1 और ए2 के पास हत्या का बदला लेने का हेतुक था।

2.सोमन को आरोपी संख्या ए1 और ए2 के साथ अंतिम बार देखा गया।

3. मृतक के शव को पहले आरोपी के क्वार्टर से एम.एल पाटम नाव 20-07-1987 की रात को निकाला गया तथा शव के टूकड़े-टूकड़े कर उसे नदी में भेंक दिया गया था।

4. वैज्ञानिक परीक्षण में क्वार्टर और नाव से एकत्रित किये गये बाल पोस्टमार्टम के समय एकत्रित किये गये खोपड़ी के बाल समान पाये गये।

5. मृतक को पोस्टडेटिंग के दो अंतर्देशीय पत्र लिखने के लिये कहा गया था ताकि यह प्रतीत हो सके कि सोमन उन तिथियों पर जीवित थे।

6. पहले अपराधी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एमओ 3 की बरामदगी।

पहली परिस्थिति को साबित करने के लिये, अभियोजन पक्ष ने पी.डब्ल्यू 04, 15, 16 व 49 की गवाही पर भरोसा किया। पी.डब्ल्यू 04 मृतक की बड़ी बहन है, पी.ड. 15 न्यू बैंक आफ इंडिया में क्लर्क है, पी.ड. 16 ब्रांच कनेरा बैक की पथियूर शाखा में क्लर्क है और पी.ड. 49 कायमकुलम के सर्कल इंस्पेक्टर है जो मृतक सोमन के सहपाठी थे।

उनके बयानों से यह पता चलता है कि सोमन के छात्र जीवन में कुछ समय के लिये ए2 के साथ घनिष्ठता थी और उनकी शादी के बाद उनका रिश्ता टूट गया। घटना के कुछ महीने पहले उनकी मुलाकात ए2 से हुई और उन्होंने पुरानी घनिष्ठता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ऐसा सबूत किसी भी तरह से यह साबित नहीं करेगा कि ए1 को पूर्व प्रेमियों के बीच अंतरंगता के पुनरूद्वार के बारे में पता था। इसलिये ऐसी परिस्थिति के अस्तित्व से हत्या के अपराध को अंजाम देने का कोई हेतुक नहीं निकाला जा सकता है।

जिसकी मृत्यु के अवसर से सीधी तौर पर कोई संबंध नहीं है। केवल तथ्य यह है कि सोमन ने पी.ड. 49 को बताया कि कृष्णा कुमारी ए2 ने उन्हें 18 जुलाई, 1987

को अपने घर पर आमंत्रित किया था, इसे इतना विस्तारित नहीं किया जा सकता है कि ऐसा निमंत्रण ए1 और ए2 के बीच रची गई षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिये था।

यह दिखाने के लायक और कोई सबूत नहीं था और सुझाव देता है कि ए2 मृतक के साथ अंतरंगता के पुनरूद्वारा के खिलाफ था या उसने अपने प्रेम संबंधों और उसके पुनरूद्वारा का रहस्य साझा किया था। जिसके साथ वह हालांकि बिना शादी के पत्नी के रूप में रह रही थी। इसलिये, ट्रायल कोर्ट का यह मानना उचित नहीं था कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया कि ए1 को मृतक और ए2 के साथ घनिष्ठता के पुररूद्वार के बारे में पता था।

भले ही उसे अंतरंगता के बारे में पता था। फिर भी ए2 के पास हत्या के अपराध करने के लिये सहमत होने पर कोई कारण व अवसर नहीं था। ए2 और मृतक के बीच पहले रिश्ते की समाप्ति भी उनके अपराध करने के सामान्य आशय सांझा करने का कारण नहीं हो सकता है, विशेषतः जब वह ए1 के साथ खुशी से रह रही थी और उनके अवैध सम्बन्धों से उनके एक बेटा हुआ, जो सहयोग के समय जीवित था।

जिन परिस्थितियों में सोमन को ए1 और ए 2 के साथ देखा गया था। वह केवल मृतक की मृत्यु को साबित करेंगे। जब वह उपर्युक्त दोनों आराेपियों के साथ था, लेकिन यह अपने आप में मानने के लिये प्रर्याप्त नहीं है कि ए1 और ए2 उससे पहले कि उसको मारने के लिये सहमत हो गये हो। 19 जुलाई 1987 को उसके आवास पर आने से पहले ए1 और ए2 उसको मारने के सहमत हो गये हो। 19 जुलाई 1987 की रात को ए1 की क्वार्टर में हंगामा हुआ।

इस तथ्य के साथ स्थापित तथ्य है कि उसी समय किसी महिता के चिल्लाने की आवाज आ रही है। महिला की चिल्लाना न केवल ए की उपस्थिति का संकेत देती है, बल्कि मृतक को मारने व मारते हुये देखकर भयभीत होने के सामान्य इरादे को

सांझा करने व उसकी अनिच्छा को भी संकेत देती है। इसी तरह पी.ड. 12, 13, 17 के बयानों को भी लिया जा सकता है कि 18 तारीख की सुबह हेरीपेड बस स्टैण्ड पर सोमन की उपस्थिति साबित हुई, लेकिन

यह मानने के लिये पर्याप्त नहीं है कि ए2, ए1 के साथ साजिश करता था। मृतक के दो उत्तर दिनांकित अंतर्देशीय पत्र लिखवाने के बात तथ्यों से प्रमाणित नहीं हुई। विचारण न्याायलय ने स्वयं देखा, ''इसमें कोई संदेह नहीं है, यह दिखाने के लिये कि रिकार्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि प्रदर्श डी 02 मजबूरी के तहत लिखा गया एक पत्र था, प्रदर्श डी 02 और प्रदर्श डी 11 ट्रायल कोर्ट में साबित नहीं हुये। प्रदर्श डी 02 अंतर्देशीय पत्र पर नहीं लिखा गया था। इतनी कमजाेर परिस्थितियां, तथ्यों पर बहुत कम साबित हुई, को मृतक सोमन की हत्या के लिये ए1 और ए2 के बीच सहमति का अनुमान लगाने के लिये पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। षड्यंत्र के अस्तित्व को दिखाने के लिये जिन परिस्थितियों पर विश्वास किया गया है, वे ऐसी परिस्थितियों है, जिन पर विश्वास किये जाने पर भी, हत्या के अपराध के करने में ए 2 की संलिप्ता युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने ए2 को संदेह का लाभ देते हुये निम्नलिखित को उचित ठहराया।

अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या सोमन की मौत के लिये आरोपी ए1 और ए2 के बीच कोई षड्यंत्र था। केवल यह तथ्य सोमन को क्वार्टर मे ले जाने के लिये राजी किया गया था, यह दिखाने के लिये पर्याप्त नहीं है कि दूसरे आरोपी का उसकी प्रेमी को खत्म करने का कोई आश्य नहीं था।

पी.ड. 49 सर्कल इंस्पेटर आफ पुलिस साेमन का दोस्त था। सोमन ने उन्हें बताया कि पहले आरोपी के पास सोमन द्वारा भेज गये पत्र व तस्वीरें है कृष्णा कुमारी

उन्हें पहला आराेपी से प्राप्त करेगी और कृष्ण कुमारी ने सोमन को 18-07-1987 को अपने पास आने के लिये आमंत्रित किया था। इस रात अधिक से अधिक दिखाये कि कृष्णा कुमारी ने वास्तव में सोमन के साथ अपने पुराने सम्बन्धों को पुनर्जीवित करने का इरादा किया होगा।

विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजन ने यह तर्क दिया कि चूंकि दूसरे आरोपी ने सोमन की मृत्यु के बाद सोमन द्वारा लिखे गये पत्रों को पोस्ट करने का साहस किया, यह आचरण उसके और पहले आरोपी द्वारा मिलकर रची गई साजिश को दर्शाता है। जरूरी नहीं कि उक्त आचरण उसका प्रतिबिम्ब हो।

उसी तरह जैसा पहला आरोपी ने पी.ड. 01 का मसोदा तैयार किया और तीसरे आरोपी ने हत्या के बाद दूसरे आरोपी की सेवाये हासिल कर ली थी।

उपर्युक्त संदर्भ में एक परिस्थिति प्रसांगिक है, क्योंकि इसमें दूसरे आरोपी को अपराधिक षड्यंत्र के आरोप से मुक्त करने की प्रवृत्ति है। जब 19-07-1987 को कुछ पड़ौसियों ने हंगामें को सुना तो वह पुलिस क्वार्टर में पहुंचे,

पी.ड. 23 ने कहा कि यह एक महिला की आवाज थी और अत्यधिक तेज आवाज से संकेत मिलता है कि महिला जोर-जाेर से रो रही थी। यह इस बात का संकेत देता है कि दूसरे आरोपी ने कुछ ऐसा कृत्य देखा जो पहले आराेपी द्वारा मृतक के साथ किया होगा और उसे देखकर वह जोर-जोर से रोने लगी होगी।

फिर पी.ड. 01 ने कहा कि जब दूसरे आरोपी को जखना चेरी ले जा रहा था तो उसके चेहरे पर दुख के भाव थे।

उपर्युक्त परिस्थितियों से, हम यह सोचने के इच्छुक है कि वे केवल डराने धमाने और जबरदस्ती का शिकार थी। जो कि पहला आरोपी है उसे करने का आदेश

दिया गया था। इसलिये, उसे हम आपराधिक षड्यंत्र के आरोप के संबंध में संदेह का लाभ दे रहे है।

पूरा रिकार्ॅड देखने और अभियोजन पक्ष के सबूतों को स्कैन करने और दोनों पक्षाें की लम्बी विस्तृत तर्कों को सुनकर हम संतुष्ट है कि उच्च न्यायालय यह मानने में सही था कि ए2 के खिलाफ अपराधिक आराेप संदेह से परे साबित नहीं हुआ। इसलिये उसे धारा 302 सहपठित धारा 120 बी के के तहत आरोप से दोषमुक्त किया गया था। हालांकि वह मृतक के शव को गायब करने में सक्रिय रूप में भाग लेते हुये पाया गया, यह जानते हुये और यह विश्वास करने का कारण था कि उसकी हत्या ए१ द्वारा की गई थी और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनायी गई थी।

ए1 के ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सी.एन. कुमार ने उपस्थित होकर 1994 में अपराधिक अपील संख्या 785 में दायर की कि अपीलकर्ता को दोषसिद्घि और सजा अनिवार्य रूप से पी.ड. 01 की गवाहों पर आधारित होना कानूनी रूप से वैध नहीं है और उनके अनुसार पी.ड. 01 विश्वसनीय गवाह नहीं है और उसके बयानों में भारी विसंगतियां है। इस तर्क से हम प्रभावित नहीं कि प्रश्न पी.ड. 01 ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के तहत वैध रूप से सामाधन दिया गया और

आरोपी अपीलार्थी को कमिटल के साथ-साथ सत्र न्यायालय में जिरह का पर्याप्त अवसर दिया गया था और उन्होंने जिरह का सामान किया और ए1 द्वारा मृतक की मृत्यु और सभी आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसके शरीर को नष्ट करने के तथ्य को साबित किया।

सहअपराधी एक सक्षम साक्षी है और उसकी गवाही के आधार पर दोषसिद्घि किया जाता जब कि अन्य तात्विक विशिष्टियों से सम्पुष्टि होती हो। ट्रायल कोर्ट और

उच्च न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर यह पाया कि साेमन की मृत्यु मानववध था, जिसके लिये ए1 जिम्मेदार है। पी.ड. 01 नाव का चालक था, जिसमें रामनगिरी पुलिसकर्मी अपनी यात्रा करते थे। घटना की दिनांक को ए2 के साथ एक युवक ए1 कमरे में आया था। नाव में खराबी होने के बावजूद, गवाही को ए1 द्वारा डी एनएसएस स्कूल की पश्चिम की ओर रात 12 बजे पहुंचने के लिये कहा और धमकी दी कि अगर वह नहीं आया तो ए उसे खत्म कर देगा। उसे पूछताछ की गई की क्या नाव में चाकू था तो उसने हा में जवाब दिया। ए1 ने बताया कि गवाह से चाकू तेज करने को कहा। रात्रि 12 बजे नाव को ए1 द्वारा पहले से अधिसुचित स्थान पर ले गया था। आरोपी नम्बर 3 भी उसके साथ था।

आरोपी नम्बर 03 नाव में सो रहा था और गवाह ए 1 को सूचित करने गया। जो ए2 के साथ अपनी क्वार्टर की साईड की दीवार पर बैठा था। जिस युवक को प्रत्यक्षदर्शी ने एक दिन पहले देखा था, वह एक बिना हाथ का बनियान और अंडरवेयर के साथ वहां मृत पड़ा था। ए1 ने गवाह से शव लाने को कहा, गवाह ए1 और ए2 मिलकर शव को आधी दीवार तक पहुंचाया तथा गवाह को ए1 द्वारा नाव में जाने तथा

मोहनन आरोपी नम्बर 03 को लाने के लिये कहा। गवाह और ए 1 ने शव को बाड़ के अंदर रखा था। आरोपी संख्या 03 ने एल 1 के साथ मिलकर शव को चबूतरे पर उल्टा रख दिया तथा शव को नाव में रखा गया और गवाह ने उसे चालू करने को कहा। एक किलोमीटर के दूर पहुंचने के बाद ए१ ने पी.ड. 1 को नाव रोकने काे कहां। ए1 को पी.ड.01 से चाकू मिला। उसने मृतक के सिर के बालों को पकड़ लिया

तथा उसके बाद गर्दन को चाकू से काटने शुरू की तथा उसके बाद उसने मृतक के शव के पेट को काटना शुरू और उसके बाद शव को नदी फेंक में दिया और चाकू भी

नदी फेंक दिया। इस प्रक्रिया में ए१ भी घायल हुआ था और उसके अगले दिन लूर्ड अस्पताल में अपने पेंट की कोट की ड्रेसिंग करवायी थी। कुछ लोगों द्वारा यह बताये जाने पर नदी में एक सिर वहिन मानव शरीर तैरता हुआ दिखा गया। पी.ड. 01, इससे पूछताछ के लिये ए 1 के क्वार्टर पर गया।

उसने कहां कि वह चिंता न करें और किसी को भी नहीं बताये जो कुछ भी हुआ है।

पी.ड. ०१ के सम्पूर्ण बयानों में इस बात का स्पष्ट विवरण है कि ए 1 और ए 3 की उपस्थिति में ए 1 द्वारा किस तरह अपराध किया गया था। पी.ड. 01 के बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। उसकी चश्मदीद गवाह के अलावा पर्याप्त संपुष्टिकारक साक्ष्य है जो ए 1 को मृतक सोमन की हत्या के अपराध से जोड़ते है।

ए 1 की ओर उपस्थिति विद्वान वकील यह दिखाने के लिये कि नीचले न्यायालय द्वारा भरोसा की गई परिस्थितियों किसी भी प्रकार से किसी भी कथित कमजोर लिंक का उल्लेख नहीं करे सके कि पी.ड. 01, एक सरकारी गवाह पुष्टि नहीं की गई थी। इसलिये उच्च न्यायालय का मानना यह सही था कि

पी.ड. 01 के सबूत पर विचार करते समय एक व्यापक पहलू पर ध्यान रखना होगा कि रामनगिरी जैसे जल जमाव वाले क्षेत्र में परिवहन केवल नाव व बोगी द्वारा ही संभव है। यदि अपराध सब इंस्पेक्टर द्वारा किया गया था तो परिवहन का सबसे संभावित साधन जो वह कर सकता था। हेकनी एक नाव है। यदि पुलिस स्टेशन से जुड़ी कोई नाव उपलब्ध होती तो उसके चालक दल के सबसे संभावित व्यक्ति होते। जिनका अपराधी शव को ठिकाना लगाने के लिये मदद ले सकते थे।

इसके कोई विवाद नहीं है एमएल पेटाम नाव रामनगिरी पुलिस स्टेशन से जुड़ी हुई है। पी.ड. 38 नाव का मालिक है और उसने कहा कि पी.ड. 01 नाव का चालक है।

इसलिये, इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि पी.ड. 01 नाव का उपयोग शव को ठिकाने लगाने के लिये किया होगा। यदि प्रथम अभियुक्त अपराधी था तो

हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील के इस दलील से संतुष्ट नहीं है कि उनके मुवकली की सजा पूरी तरह से गवाह पी.ड. 01 की गवाही पर आधारित थी। उनके बयानों की तात्विक गवाहों से संपुष्टि नहीं होती है। मामले में पेश किये गये परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिये पर्याप्त है। इससे उनकी अपराध में उनकी संलिप्तता के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। जहां तक हत्या के अपराध में ए 1 की संलिप्तता का सवाल है, हमें ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से असमर्थ होने पर कोई कारण नहीं रखता है।

एफ अतः दोनों अपीलों में कोई योग्यता नहीं है। इसलिये उन्हें खारिज किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सरोज चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।